परिशिष्ट - 01
[26/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 6604]

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 12 मई 1999

क्रमांक एफ. 7-9/99/आ. प्र./एक,

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—भरती के विज्ञापन और शासकीय कार्य में ''सामान्य शब्द के स्थान पर ''अनारक्षित'' शब्द का प्रयोग.

1 जुलाई 1994 से प्रभावशील मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 के अंतर्गत आरक्षण नियम, 1998 बनाये गये है. दिनांक 23 अप्रैल 1998 को म. प्र. राजपत्र में प्रकाशित इस नियम की प्रति आपकी ओर पूर्व में ही भेजी गई है.

2. इन नियमों में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के अतिरिक्त सामान्य वर्ग का कहीं कोई उल्लेख नहीं है. अधिकांश विभागों की यह धारणा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण देने के बाद बाकी पद सामान्य वर्ग के लिये हैं, तथा इन पदों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत माना जाता है, यह सही नहीं है. सेवाओं में भर्ती या पदोन्नति के समय जो पद आरक्षित नहीं है वे अनारक्षित माने जाने चाहिए.

3. अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि भरती के विज्ञापन और शासकीय कार्य में ''सामान्य वर्ग'' का प्रयोग नहीं किया जाय. केवल ''अनारक्षित'' शब्द का ही प्रयोग किया जाय.

4. कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय.

हस्ता./-

(पी. सी. सूर्य)
उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 1999

पृ. क्र. एफ. 7-9/99/आ. प्र./एक

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार जनरल न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश , इन्दौर.

अवर सचिव अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(आरक्षण प्रकोष्ठ)

2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.

सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.

3 निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/म.प्र.शासन

4 मुख्य निर्वाचन अधिकारी/पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल.

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.

5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र., भोपाल.

6. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/इन्दौर/भोपाल/ग्वालियर.

7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.

8. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.

9. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा /मुख्य लेखा अधिकारी, म. प्र. मंत्रालय,

10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला जनपद पंचायत.

11. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल

12. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसरं, मंत्रालय, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

2/- स्टाफ ऑफिसर, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर के पत्र क्र. 144036/23/94/अनु-6, दिनांक 25-2-99 के संदर्भ में सूचनार्थ.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(आरक्षण प्रकोष्ठ)

हस्ता./-

(पी. सी. सूर्य)
उपसचिव.